

20.6.25

वकील उद्यमपक्ष द्वारा/ उद्यमपक्ष

की सहमति के आदेश पर प्राथम

उद्यमपक्ष को पावट कर देने का

लिखित आदेश का निवेदन दिया।

उद्यमपक्ष की सहमति के आदेश पर

प्राथम स्वीकार किया जाता है।

तथा उद्यमपक्ष को मूलवाद के

निस्तारण तक आगे के रिकॉर्ड को

प्रशासित करने के लिए पावट

दिया जाता है। और दिनांक

24.3.25 को जारी अंतरिम आदेश

निवेदित मूलवाद के निस्तारण

तक पूरा की जाती है। (प्राथम)

केस पर शुभ होकर सलाम मूलवाद

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)